

11.03.2024

घनावली वाडी मय वाकिल के प्रार्थना पत्र तत्पश्चात् बाद विडोल करने बाबत पर पेश हुई। वाकिल वाडी ने निवेदन किया की, वादग्रस्त होने के संबंध में एडवोकेट जनरल के माध्यम आपसी सहमती की आधार पर राजीनामा हो गया है। इस कारण अब वाडी वाद पत्र की आगे चलाना नहीं चाहता है। जो वाद पत्र जारी विडोल खारिज किया जावे। वाकिल प्रतीवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अनापत्ति लिखी गई है। हमने उभयपक्ष को सुना और घनावली का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि, वाडी स्वयं वाद पत्र की आगे चलाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि वादग्रस्त श्रेणी के संबंध में राजीनामा होना स्वीकार किया है। इस कारण वाद हेतुक समाप्त हो चुका है। लिहाजा वाडी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जल्द वाडी को वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। घनावली फैसल कुमार होकर दारखत इतर है।

(घनावली)

11/3  
 सहायक कलक्टर  
 (S.O.) बालोतरा



मैं दिनांक 11-03-2024 को  
 (घनावली)

(घनावली)